संख्या– 1676/52–3–2013–सा(30)/13

प्रेषक,

देवेश चतुर्वेदी,
सचिव,
अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

1107
19-9-13

अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ अनुभाग–3 — लखनऊः दिनॉक 19 सितम्बर, 2013

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव द्वारा जारी शासनादेश संख्या–1617/52–3–2013–सा(30)/13, दिनॉक 18 सितम्बर, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो स्वतः स्पष्ट है। शासनादेश द्वारा समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जनपद में समस्त ग्रामों व नगरीकरण का त्वरित आकलन करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी के प्रतिशत का आकलन करते हुए विकास खण्ड व नगरनिकाय वार सूचियॉ एक सप्ताह में उपलब्ध करायी जायें।

यह निर्देश दिये गये हैं कि जनपदों में पड़ने वाले समस्त ग्रामों में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी का त्वरित आकलन करते हुए विकास खण्डवार ग्रामों की 02 सूचियॉ बनायी जाय। पहली सूची, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की कुल आबादी के 25 प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम है तथा दूसरी सूची ऐसी जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी 50 प्रतिशत व उससे अधिक है। इसी प्रकार की कार्रवाई नगर क्षेत्र में वार्डवार की जानी है तथा उपरोक्त सूचियॉ एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध करायी जानी है।

Imp
[illegible]
19-9-13

आपसे अपेक्षा है कि आप तत्काल सम्बन्धित जिलाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर उपरोक्त कार्यवाही नियत समय में सम्पन्न कराते हुए प्रश्नगत सूचियों की हार्ड कापी व सी0डी0 (एम.एस. एक्सल पर) शासन एवं निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(देवेश चतुर्वेदी)
सचिव।

संख्या–1676(1)/52–3–2013–सा(30)/13,तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निदेशक; अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
उप सचिव।